

फर्द अहकाम

इति वनाम काल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 92/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम
संख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

5/3/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहव चौध
अ...
...की जा सकी। पत्रावली
दिनांक 18/4/24 को पेश

18/4/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. साहव चौध
जन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण
कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली
दिनांक 6/6/24 को पेश हो।

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी साधिवन्ता अपेक्षित
अप्रार्थी के 1 लग 3 वर्ष मूल वादपत्र में
एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जा
चुकी है अतः इस प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थी
के 1 लग 3 के विकट एक तरफ कार्यवाही
अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी साधिवन्ता की मा. पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय कदम सुनी गई।
पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का
अवलोकन करने एवं प्रार्थी साधिवन्ता
द्वारा दौरान कदम जाखिर तथ्यों पर मनन
करने के उपरान्त विवादित आराजी
खसरा नं. 24/2, 25, 26, 27 स्थित
ग्राम रामपुरावास देवगांव प.ड. देवगांव
तह. तूंग ज. जयपुर में उभयपक्षी को
जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त
विवादित आराजी पर ताकतवादी वाद
के मोड़ व रिकार्ड की यथास्थिति

लय : स
प्रार्थना
क आज्ञा
कार्यवाही

फर्द अहकाम

शांति बनाम काबू

लय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 92/2020

क आज्ञा
अर्पवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

बनाये रखे।

पत्रावली के सल सुमार दोकर नम्बर
से कर दोकर बाद तकमूल दाखिल
दफ्तर हो।

(m)
सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण